न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 168/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हजारीराम पुत्र केराराम उर्फ केरीया जाति बावरी निवासी सुरायता हाल निवासी दुदौड़ तह0 मा0ज0 जिला पाली राज0।		1. ईन्दाराम पुत्र धनाराम 2. पानी पत्नी धनाराम 3. सेसाराम पुत्र धनाराम 4. तुलसाराम पुत्र मगाराम जातिगण सिरवी निवासीगण सुरायता तह0 सोजत जिला पाली राज0। 5. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 18/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि खाता सं0 330 खसरा नंबर 1275 रकबा 0.5700 है0 तथा खाता सं0 293 ख0नं0 1297 रकबा 0.9700 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि केरीया उर्फ केसीया पुत्र जोधा के नाम की खातेदारी भूमि रही हैं। जो सम्वत् 2010 से 2045 तक प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज सुदा थी। प्रार्थी अनुसुचित जाति का अनपढ़ व्यक्ति है, जो अपने पिता की भूमि पर पिता के कब्जे अनुसार काबिज काश्त हैं, लेकिन अनपढ़ होने से कभी उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की जांच नहीं की, जिसका अप्रार्थीगण ने नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थी की भूमि हड़पने की नियत से बाले बाले सैटलमेंट अधिकारियों से सांठ गांठ मिलावट कर बिना किसी प्रकार की जांच किये विधि विरूद्ध तरीके से केरीया उर्फ केसीया पुत्र जोधा के फौत होने पर उनके जाईन्दा लड़के का नाम दर्ज नहीं कर उक्त राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया, जबकि कानूनन अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी प्रकार से सामान्य व ओबीसी व्यक्ति लेने का पात्र नहीं है, फिर भी विधि विरूद्ध तरीके से कानुन की धज्जियां उड़ाते हुए राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत से उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज कर दी। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता हैं, उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर वादस्थ भूमि का बेचान, अन्तरण करने पर उतारू हैं। यदि ऐसा करने में वह सफल होते हैं तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। इस अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पेश कर ताफैसला मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण का नाम रेकर्ड में होने के आधार पर आगे से आगे बेचान नहीं करे और न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि सम्वत् 2010 से 2045 तक राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता केरीया उर्फ केसीया पुत्र जोधा के नाम दर्जसुदा थी। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा सेटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने पर प्रार्थी की बजाय अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया, जब सेटलमेंट अधिकारी को किसी की खातेदारी अधिकार छिनने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थीगण अपना राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

अंदाजी कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है, यदि ऐसा करने में वे सफल होते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वादस्थ भूमि में अपने नाम होने के आधार पर आगे से आगे बेचान नहीं करने, कब्जा नहीं करने, गिरवी नही रखने तथा प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रेकर्ड के रेकर्डेड खातेदार हैं। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)